भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2989
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

मध्यस्थता का प्रभाव

2989 श्री संजय कुमार झा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यावसायिक, दीवानी और सामुदायिक विवादों के लिए संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने के उपाय शुरू किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो स्थापित मध्यस्थता केंद्रों, जागरूकता अभियानों और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और आसानी से कम खर्च में न्याय तक पहुँच बेहतर बनाने के लिए मध्यस्थता के प्रभाव का आवधिक आकलन करने हेतु कोई रूपरेखा तैयार की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों, जिनमें मध्यस्थता भी शामिल है, को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये तंत्र कम प्रतिकूल होते हैं तथा विवादों के समाधान के पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं।

(i) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों में वाद संस्थित किए जाने से पूर्व अनिवार्य मध्यस्थता

और समझौता (पीआईएमएस) का उपबंध किया गया है, उन मामलों के सिवाय, जिनमें पक्षकार द्वारा तत्काल राहत की मांग की गई हो। अतः पक्षकारों को न्यायालय का रुख करने से पूर्व की अनिवार्य प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। इसका उद्देश्य पक्षकारों को मध्यस्थता के माध्यम से अपने वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने का अवसर प्रदान करना और ऐसे विवादों को, जो सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाए जा सकते हैं, न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालयों के समक्ष लाए जाने से रोकना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित प्राधिकरणों को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन पूर्व अनिवार्य मध्यस्थता और समझौता संचालित करना अपेक्षित है।

(ii) मध्यस्थता अधिनियम, 2023 में भी पक्षकारों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यस्थता के लिए सांविधिक रूपरेखा निर्धारित की गई है, संस्थागत मध्यस्थता के संबंध में, देश में विशेष रूप से एक सुदृढ़ और प्रभावी मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की पहचान की गई है। अधिनियम की धारा 31 में मध्यस्थता परिषद् की स्थापना का उपबंध है, जो राष्ट्रीय स्तर पर, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थता को विवाद समाधान के पसंदीदा माध्यम के रूप में बढ़ावा देने तथा देश में मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 43 में किसी क्षेत्र या स्थानीयता के निवासियों अथवा परिवारों के बीच शांति, सौहार्द और सद्भाव को प्रभावित करने की संभावना वाले किसी विवाद के समाधान के लिए सामुदायिक मध्यस्थता का उपबंध किया गया है।

सरकार मध्यस्थता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न हितधारकों, जिनमें उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण शामिल हैं, के साथ निरंतर संवाद एवं समन्वय कर रही है। मार्च, 2025 में भारत के विद्वत महान्यायवादी द्वारा विधि कार्य विभाग और भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र के सहयोग से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्तर के मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देशभर में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधीन कार्यरत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्रों और मध्यस्थता केंद्रों को सुदृढ़ करना, मध्यस्थों की सूची तैयार करना और उनका प्रशिक्षण, वाद-पूर्व तथा समुदाय-आधारित विवाद समाधान को बढ़ावा देना तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) के माध्यम से सामुदायिक मध्यस्थता पहल को कार्यान्वित करना शामिल है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान में से मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) को निधियां उपलब्ध कराता है, जिसका गठन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है। मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति वकीलों को प्रशिक्षित मध्यस्थ बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने मध्यस्थों अंतरराष्ट्रीय अकादमी के सहयोग से उच्चतम न्यायालय में 15 घंटे के उन्नत वाणिज्यिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसका प्रथम बैच 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, 2024 तथा द्वितीय बैच 3 मार्च से 5 मार्च, 2025 तक आयोजित किया गया। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में अनुभवी विधि विशेषज्ञों, मध्यस्थों और न्यायाधीशों ने भाग लिया तथा विशेष रूप से जटिल वाणिज्यिक विवादों से निपटने के लिए मध्यस्थता संबंधी कौशल को उन्नत किया।

मार्च, 2026 तक, देशभर में 452 वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र और 1,394 मध्यस्थता केंद्र कार्यरत हैं। कुल 4,681 न्यायिक अधिकारियों, 10,124 वकीलों तथा 753 अन्य मध्यस्थों को प्रशिक्षित किया गया है और मध्यस्थ के रूप में अभिनियोजित किया गया है।

(ग) : न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने में मध्यस्थता के प्रभाव का आकलन करने के लिए अभी तक कोई रूपरेखा विकसित नहीं की गई है।
